UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING (UGMAC)-2019

FOR

ADMISSION TO MBBS / BDS / BAMS / BHMS / BUMS / BV.Sc & AH COURSES AS PER RANK LIST OF NEET(UG)-2019 AGAINST STATE QUOTA SEATS

(UGMAC - 2019)

(MBBS / BDS / BAMS / BHMS / BUMS / BV Sc. & AH Courses)

PROSPECTUS विवरण पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र - 2019

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

Visit our Website: bceceboard.bihar.gov.in

UGMAC-2019 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

क्रम संख्य	<u>विवरण</u>	<u>कंडिका</u>	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय ।	1	1
2.	संस्थान परिवर्तन ।	2	1
3.	आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति ।	3	1
4.	चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी चिकित्सा संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें।	4	2
5.	पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताऐं / अर्हताऐं ।	5	3
6.	NEET(UG)-2019 की मेधा-सूची के आधार पर UGMAC-2019 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए योग्यता (Eligibility), Online आवेदन की प्रक्रिया एवं कॉउन्सेलिंग शुल्क ।		4
7.	कॉउन्सेलिंग सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ ।	7	5
8.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ ।	8	5
9.	परिशिष्ट-1 (Schedule-I) (सरकारी मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की विवरण)	-	7
10.	परिशिष्ट-1 (Schedule-II) (निजी मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की विवरण)	-	8
11.	परिशिष्ट-2 सरकारी आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की विवरण।	-	9
12.	परिशिष्ट-3 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में कोटिवार उपलब्ध सीटों का विवरण	-	10
13.	परिशिष्ट-4 (मेडिकल डिग्री / डेंटल डिग्री पाठ्यक्रमों में Disabled Quota की आरक्षित सीटों के लिए अर्हता)	-	11
14.	परिशिष्ट-5 (प्रमाण-पत्र / अंक-पत्र / अन्य अभिलेख की सूची)	-	12

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद अन्डर ग्रेज्यूएट मेडिकल एडिमशन कॉउन्सेलिंग-2019

(Under Graduate Medical Admission Counselling-2019

विवरण पुस्तिका

1. परिचय :

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-सं.सं.-1/प.नि. -05/2019-586(1) दिनांक 15.05.2019 एवं सं.सं.-16/एच. 1-03/2019-669 आ.चि. दिनांक 14.05.2019 के आलोक में बिहार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. / बी.डी. एस. / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी पाट्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की कॉउन्सेलिंग मनोनयन / चयन, राष्ट्रीय स्तर पर सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन द्वारा आयोजित NEET (UG)-2019 की मेधा-सूची के अनुसार राज्य कोटा की सीटों पर, मेधा-सह-विकल्पानुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-6 एस.एस.(11) 06/2018-3622 दिनांक 04.02.2018 के आलोक में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के बी.भी. एस-सी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की कॉउन्सेलिंग मनोनयन / चयन राष्ट्रीय स्तर पर सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन द्वारा आयोजित NEET (UG)-2019 की मेधासूची के अनुसार राज्य कोटा की सीटों पर मेधा-सह-विकल्पानुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

1.1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ :

- (i) यह विवरण पुस्तिका ''UGMAC-2019की विवरण पुस्तिका'' के नाम से जानी जायेगी ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (iii) यह तुरन्त लागू होगी ।

1.2 परिभाषायें :

- (i) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्राय है स्नातक स्तर के चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी तथा पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम ।
- (ii) ''परीक्षा'' से अभिप्राय है सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन द्वारा आयोजित NEET (UG)-2019।
- (iii) ''पर्षद'' से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ।
- (iv) ''सरकार'' से अभिप्राय है बिहार सरकार ।
- (v) ''परीक्षा नियंत्रक'' से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(vi) ''बिहार'' से अभिप्राय है पुनर्गठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है।

(vii) चिकित्सा धारा से अभिप्राय :

चिकित्सा धारा से अभिप्राय है राज्य के चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी कॉलेजों के पाठ्यक्रम ।

(viii) कृषि धारा से अभिप्राय :

कृषि धारा से अभिप्राय है राज्य के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पाठ्यक्रम ।

2. संस्थान परिवर्तन :

चिकित्सा धारा एवं कृषि धारा के अन्तर्गत संस्थान परिवर्तन संबंधी सभी मामलों पर पर्षद द्वारा क्रमशः स्वास्थ्य विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संशाधन विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार निर्णय लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा। उसके बाद संस्थान एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन-संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के निदेशकों/ कुलपितयों/ प्राचार्यों अथवा संबंधित निदेशालयों द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में उनके द्वारा पर्षद के निर्णयों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

3. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

- 3.1 NEET (UG)-2019 की मेधा-सूची (Rank list) के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं आरक्षण लाभ के लिए UGMAC-2019 के Online आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उसी आरक्षण कोटि को भरें जिसके लिए आपको विधि वत् जाति प्रमाण प्राप्त हो । राष्ट्रीय स्तर पर OBC (Other Backward Class) को बिहार राज्य में BC (Backward Class) एवं EBC (Extremely Backward Class) के रूप में पहचान प्राप्त है। अतः OBC के स्थान पर BC अथवा EBC जिस आरक्षण कोटि में आप आते हों उसका ही उल्लेख करें।
- 3.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की सीटों पर नामांकन हेतु उपरोक्त कंडिका-3.1 के आलोक में आवंटन के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं:-

क्रम	कोटि		आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	-	16 %
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	-	1 %
3.	अत्यन्त पिछडा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	-	18 %
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	-	12 %
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	-	3 %

शेष **50** % अनारक्षित सीटें Unreserved (UR) की समझी जायेंगी।

- 3.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णीकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।
- 3.4 NEET (UG)-2019 की मेधा-सूची (Rank list) में अंकित कोटि एवं बिहार सरकार द्वारा तद्नुसार निर्गत SC/ST/EBC/BC को सूची जो कॉउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू की गयी तथा जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र विधिवत प्राप्त हो, उसी के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) मान्य होगा ।

NEET (UG)-2019 की प्राप्त मेधासूची में अभ्यर्थी की जो आरक्षण कोटि(OBC/SC/ST)दर्ज है वही आरक्षण कोटि UGMAC-2019 के लिए मान्य होगी। OBC आरक्षण कोटि को अभ्यर्थी OBC के स्थान पर बिहार राज्य में लागू BC और EBC जो भी उनकी आरक्षण कोटि हो उसे ही भरें।

- 3.5 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर Unreserved (UR) की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें Unreserved (UR) में मनोनुकूल पाठ्यक्रय / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपनी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेधाक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।
 - (ii) इस संदर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करता है तो उसे विचारोपरान्त अद्यतन रुप से लागू किया जा सकता है।
 - (iii) निजी चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन हेतु इस महाविद्यालय में अनुमान्य आरक्षण व्यवस्था मान्य होगी।
- 3.6 दिव्यांग कोटा (Disabled Quota i.e. DQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :
- 3.6.1 दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की पाँच प्रतिशत सीटों दिव्यांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो

निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सिम्मिलित होंगी।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के लिए कॉउन्सेलिंग प्रक्रिया आरम्भ करने तक जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

- 3.6.2 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी UGMAC-2019 की कॉउन्सेलिंग में सिम्मिलित होने के लिए अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर DQ (Disable Quota) अंकित करें जो NEET (UG)-2019 की मेधा-सूची में उनके दिव्यांग (PH) या (DQ) होने को संपुष्ट करता हो। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की कोटि, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के स्थायी होने अथवा दिव्यांगता के घटने-बढ़ने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र कब तक के लिये मान्य है की अवधि / तिथि का उल्लेख होना चाहिए।
- 3.6.3 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक तभी पाठ्यक्रम (MBBS/BDS/BAMS/BHMS/BUMS) का चयन कर सकेंगे जबिक स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। डॉक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा [(देखें परिशिष्ट-2)
- 4. चिकित्सा धारा में चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक/ तिब्बी संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें: विभिन्न चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण पिरिशिष्ट-1 (सिड्युल-A एवं सिड्युल-B) तथा पिरिशिष्ट-2 में दिया गया है । बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों की सीटों की कुल संख्या में फेर-बदल करने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार के पूर्व दे दी जायेगी ।
- 4.1 चिकित्सा धारा के पाट्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताऐं / अर्हताऐं :-

4.2 शैक्षणिक :

(i) 10 + 2 / आई.एस.सी. / प्री-मेडिकल या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी (भाषा और सिहत्य के रूप में) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (बौटनी एवं जुलॉजी) / वायोटेक्नोलौजी विषयों में अलग-अलग उतीर्ण । सामान्य वर्ग के आवेदक को भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग एवं जीव विग्ञान / वायोटेक्नोलौजी को एक साथ मिलाकर न्यूनतम 50% अंक किन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग / अत्यन्त पिछड़े वर्ग के आवेदक को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव-विज्ञान / वायोटेक्नोलौजी को एक साथ मिलाकर 40% अंक प्राप्त होना चाहिए ।

- (ii) (क) उपरोक्त के अतिरिक्त NEET(UG)-2019 की परीक्षा के आधार पर बनायी गयी Unreserved (UR) में सिम्मिलित अभ्यर्थियों को भौतिक विज्ञान, रसायन विभान एवं जीव विज्ञान विषयों को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 50 % से कम नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान / वायोटेक्नोलौजी को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 40 % से कम नहीं होना चाहिए।
 - (ख) राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना केBUMSपाठ्यक्रम में नामांकन के लिए उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
 - (ग) दिव्यांग अभ्यर्थियों, जिन्हें सिर्फ Lower Limbs की Locomotory से सम्बन्धित दिव्यांगता है उनके लिए NEET(UG)-2019 की परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान / वायोटेक्नोलौजी को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 45 % से कम नहीं होना चाहिए । परन्तु अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ी जाति (BC) और अत्यन्त पिछड़ी जाति (EBC) के आवेदकों की अर्हता (Eligibility), अर्हक (Qualifying) परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा में 40 % प्राप्तांक यथावत् होगी ।
- (iii) उपरोक्त कंडिका-4(i)एवं4(ii)के प्रावधान मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया / सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ होमियोपैथी/ सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन के निर्णयानुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है और वे ही प्रावधान अन्तिम रूप से मान्य होगे।
- (iv) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र के अनुसार भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय दन्त परिषद / सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ होमियोपैथी/ सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन / माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो तद्नुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

4.3 आयु सीमा :

MBBS/BDS/BAMS/BHMS/BUMSपाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु-सीमाNEET(UG)-2019की परीक्षा-वर्ष की 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होनी चाहिए । तद्नुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि 31.12.2001 के बाद नहीं होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इन्डिया / राज्य सरकार के अद्यतन प्रावध न लागू होंगे।

4.4 शारीरिक :

प्रवेश के लिये चयनित अभ्यर्थियों की डाक्टरी जाँच होगी । जाँच में योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु आवंटन-आदेश निर्गत होगा । इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा ।

4.5 आवासीय अर्हता :

केवल वे ही आवेदक NEET(UG)-2019 के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

- जिनके माता-पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।
 अथवा
- जिनके माता-पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी हैं।

अथवा

III. जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।

अथवा

IV. जिनके माता-पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।

अथवा

V. जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों (Public Sector Undertaking of Govt. of India) के कर्मचारी हैं।

अथवा

VII. जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

- 4.6 निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन हेतु अभ्यर्थी भारत वर्ष का निवासी होना चाहिए एवं NEET(UG)-2019में योग्यता प्राप्त(NEET Qualified) होना चाहिए।
- 5. कृषि धारा में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताऐं / अर्हताऐं :-
- 5.1 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम एवं कुल सीटों की संख्या परिशिष्ट-3 में देखें। इनमें यदि बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई फेरबदल किया गया तो इसकी सुचना नामांकन के समय दे दी जायेगी।

परिशिष्ट-3 की सूचि में संस्थान एवं अतिरिक्त सीटों को जोड़ने या बदलने का अधिकार परीक्षा पर्षद / सरकार को सुरक्षित होगा।

5.2 सीट आरक्षण:

- (क) इस पाठ्यक्रम में कुल उपलब्ध सीटों का 15 प्रतिशत अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जायेगी ।
- (ख) शेष सीटों पर नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए कॉउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन submit करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।
- (ग) दिव्यांग कोटा की सीटों के लिए आरक्षण एवं अर्हता सम्बन्धी प्रावधान कंडिका 3.6 में देखें।
- 5.3 अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यता / अर्हताएँ :

शैक्षणिक :

10+2 / आई.एस.-सी. या समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण।

5.4 आयु सीमा :

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में प्रवेश हेतु परीक्षा वर्ष के 31 अगस्त को न्यूनतम आयु 16 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

5.5 शारीरिक :

प्रवेश के लिए चुने गये आवेदकों की डाक्टरी जाँच होगी। जाँच में

योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा । इस जाँच के लिए अगल से शुल्क लगेगा ।

5.6 आवासीय अर्हता :

वही नियम जो कंडिका 4.5(i) से (vii) में उल्लेखित है।

5.7 शर्त्त :

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या–1 स्था. (1) 101/2018–1381 पटना 15, दिनांक 29.01.2018 के आलोक में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में बी.भी. एस.–सी. एण्ड ए. एच. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशोपरान्त एवं पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पहले बीच में अध्ययन छोड़ने की परिस्थित में उन्हें 3,00,000/– (तीन लाख) रुपये की छितपूर्ति राशि विश्वविद्यालय में जमा करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों को जमानत–पत्र विश्वविद्यालय को जमा करना अनिवार्य होगा।

- 6. NEET(UG)-2019 की मेधा-सूची के आधार पर UGMAC-2019 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए योग्यता (Eligibility), Online आवेदन की प्रक्रिया एवं कॉउन्सेलिंग शुल्क:
- (i) योग्यता (Eligibility):

 NEET (UG)-2019 जो राष्ट्रीय स्तर पर CBSE, New
 Delhi द्वारा आयोजित की गई है, के आधार पर प्राप्त मेधा सूची
 में सम्मिलित अभ्यर्थी ही UGMAC-2019 के लिए Online
 आवेदन करने हेतु योग्य (Eligible) है।
- (ii) UGMAC-2019 हेतु Online आवेदन की अनिवार्यता : उपर वर्णित कॉडिका-5.4 एवं 6(i) के अनुसार योग्य (Eligible) अध्यर्थियों के लिए UGMAC-2019 के आधार पर MBBS / BDS/BAMS/BHMS/BUMS/BV. Sc. & AH पाट्यक्रमों की बिहार राज्य कोटा की सीटों पर नामांकन हेतु कॉउन्सेलिंग में सिम्मिलित होने के लिए Online आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे कंडिका-6(iii) में दी गयी है । जो अध्यर्थी UGMAC-2019 के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे वे UGMAC-2019 से सम्बन्धित किसी भी कॉउन्सेलिंग में सिम्मिलित नहीं हो सकेंगे एवं इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :

UGMAC-2019 में सम्मिलित होने के लिए विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website : bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं ।

UGMAC-2019 में सम्मिलित होने के लिए योग्यता प्राप्त (Eligible) अभ्यर्थी उपरोक्त website के 'Apply for UGMAC-2019' के Link पर Click करें । इसके साथ ही Online आवेदन हेतु screen पर दिये गये निर्देशों (Instructions) को अच्छी तरह पढ लें ।

I. Step-One - Registration: For registering, the candidate is required to fill the information asked in Step-One of the application form, appearing on the computer screen. Candidate while registering, must see that he / she is giving his / her own email_id and mobile no., because all informations concerning registration will be sent on the same email_id and mobile no. Also the candidate will receive a SMS. The received email and SMS will contain an "ACTIVATION CODE" which is to be used by the candidate to activate his account. The candidate should

click "Activate Your Account" Button and enter the email_id and received Activation code to activate his / her account. There after click the "Submit" button. After activating the account the candidate should click the "Sign in" button and enter the email Id and password to proceed further. The candidate must keep the password entered in Application Form confidential, otherwise BCECE Board will not be responsible for any complication. The email id given by the candidate will be his user name.

- II. Step-two (Personal Information): After successful registration and activating the account, the candidate should again "Sign in" to his account and thereafter complete the required entries regarding personal information on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button
- III. Step-Three (Upload Photo and Signature): After entering the personal information the candidate should upload his / her passport size photograph of high contrast (Photo must be snapped with placard containing candidate's name and snapping date), and full signature in Hindi and English (Not in capital letter) after duly scanning the same. After uploading photo and signature click on "Save & Continue" button
- IV. Step-Four (Educational Information): After uploading the scanned photo and signature the candidate should enter his / her educational information on the computer screen and click on "Save & Continue" button.
- V. Step Five (Preview your application): After entering educational information the candidate must verify all the information given by him/her while verifying given information in step-2, step-3 and step-4. If any information is found wrong, then the candidate should click "Back to Edit" button and make required corrections. Thereafter the candidate should click "Save & Continue" button so that entered information should be updated.

If preview of application form is found to be correct, then the candidate give his / her Declaration and click the "Confirm & Submit" button so that he / she should pay Examination Fee as per Step-Six.

- VI. Step Six (Payment of Counselling Fee): After preview of the Application Form and submitting the same, the candidate should click "Proceed to Payment" button and complete the payment procedure according to instructions appeared on the computer screen regarding payment of Counselling Fee. Paid Counselling Fee will not to be refunded. There are following two modes for payment of Counselling Fee.
 - a. Payment by Bank Challan: If the candidate wants to Pay Counselling Fee through Bank Challan, he / she should select offline / NEFT Challan option from Payment mode appearing on computer screen and download the Challan and get the print and visiting any Bank upto scheduled last date, the Counselling Fee may be paid through NEFT mode. This procedure for updating will take atleast one hour. If the payment is not updated, then the candidate should wait for atleast 24 hours. If even then the payment is not get updated then the candidate should contact BCECEB office before the scheduled date. The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through Challan mode.
 - b. Online Payment: If the candidate wants to pay Counselling Fee through Online mode e.g. Credit Card / Debit Card / Net banking, he / she should select online option from payment mode appearing on the computer screen and "Make the Payment" should be made through Credit Card / Debit Card / Net banking. The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through online mode
 - c. Counselling Fee: Counselling fee to be paid through above modes is Rs. 1200/- (One Thousand Two Hundred) only for Unreserved/ BC / EBC candidates and Rs. 600/- (Six Hundred) only for SC / ST / DQ candidates.
- VII. Step Seven (Download part- A & Part-B): After payment of

Counselling Fee upto scheduled date and time, the candidate must download Hard Copy (Part-A & and Part-B) of online submitted Application Form and keep the same safely in his possession because it contains all informations provided by the candidate and the UGMAC-ID made available by the Board for further use during counselling.

- Note: a. The candidates are required to fill up the reservation category very carefully taking into consideration the reservation policy/rules/category as specified and applicable in the State of Bihar on or before the date of starting the process of online submission of the prescribed application form for NEET (UG)-2019.
 - Hard copy of PART-A & PART-B need not to be send to Board's office, but instead, this is to be made available at the time of counselling.
 - c. After completing the above procedure and finally submitting the online application form, there is no provision for any change or modification in the same.
 - d. The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request for refunding paid counselling fee will be entertained.
 - e. Board will not be responsible for any interruption in Internet / Postal / Banking system. Therefore the candidates must not wait for last dates and complete all procedure before due date.
 - Final Merit list will be prepared after scrutinising the data of NEET(UG)-2019 provided by Health Deptt., Govt. of Bihar.
 - g. No other chance will be given to any candidate for submitting online application after due date for online submission of application.
- 4. All the certificates included in the list given below, if applicable, must be submitted in original by every candidate at the time of his / her counselling / allotment on the scheduled date;
 - (i) Original Admit Card of NEET(UG)-2019
 - (ii) Original Score Card of NEET(UG)-2019
 - (iii) Passing Certificate / Mark sheet / Admit Card of Matric / equivalent exam.
 - (iv) Passing Certificate / Mark sheet / Admit Card of Intermediate/ 10+2 / equivalent exam.
 - (v) Residential Certificate.
 - (vi) Caste Certificate.
 - (vii) All the Certificate / documents in original as per the requirements of admissions in Private Medical / Dental Colleges.
 - (viii) Six copies of the passport size photographs, which was pasted on the Admit Card of NEET(UG)-2019.
 - (ix) Downloaded print of Online filled Application Form (Part A & Part B) of UGMAC-2019.
 - (x) Aadhar Card.
 - (xi) Any other documents required (if any) such as DQ (PH) certificate.

5. Important dates for UGMAC-2019:

- (i) Online Registration starting date: 19.06.2019
- (ii) Online Registration closing date: 25.06.2019 (11.59 P.M.)
- (iii) Last date of payment through challan: 26.06.2019 (upto working hours of the bank)
- (iv) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card with final submission of the online Application Form of Registered candidate: 26.06.2019 (11.59 P.M.)
- (v) Publication of Merit list of UGMAC-2019 : 28.06.2019 (8.00 P.M.)
- (vi) Proposed date of Counselling: To be notified later on.

7. कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें :

7.1(क) जो आवेदक अपने ऑन लाइन प्रपत्र / कॉउन्सेलिंग के

समय / नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में अथवा नामांकन के बाद अगर अनुचित तरीके अपनाने के दोषी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नामांकन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा । ऐसे निष्काषित अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है ।

- 7.1(ख) बिहार राज्य स्थित निजी मेडिकल / निजी डेंटल कॉलेजों की एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार कॉउन्सेलिंग की प्रक्रिया परी की जायेगी।
- 7.2 NEET(UG)-2019 के आधार पर बिहार कोटा की मेधा-सूची (Rank list) तैयार करने में यदि किसी प्रकार की भूल / गलती का पता चलने पर नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- 7.3 प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की जाँच के बाद अन्तिम रुप से योग्य पाये जाने पर मेधा-सह-विकल्प के आधार पर, निर्धारित तिथि को (कॉउन्सेलिंग के क्रम में) पाठ्यक्रम / संस्थान का आवंटन किया जायेगा । आवंटन हेतु डाक्टरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर ही अन्तिम रूप से सीट (पाठ्यक्रम / संस्थान) आवंटित किया जा सकेगा।
- 7.4 NEET (UG)-2019 की मेधासूची के आधार पर नामांकन हेतु चयन के लिए मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया / सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ होमियोपैथी/ सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया के प्रावध ान को लागू किया जायेगा । स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय दन्त परिषद / सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ होमियोपैथी/ सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया / माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो विचारोपरान्त तद्नुसार कार्रवाई की जायेगी ।
- 7.5 NEET (UG)-2019 के सम्बन्ध में विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना / सूचनाऐं या पर्षद की वेबसाइट पर दी गयी सूचना / सूचनाऐं, इसी विवरण पुस्तिका के भाग होंगे।

8. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

- 8.1 NEET (UG)-2019 की मेधासूची के आधार पर कॉउन्सेलिंग का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा । पर्षद् द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे ।
- 8.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की

- आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।
- 8.3 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोध न/ परिवर्त्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा।
- 8.4 समय-समय पर Website के माध्यम से UGMAC-2019 की कॉउन्सेलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना / सूचनायें दी जाती रहेंगी । उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा ।
- 8.5 UGMAC-2019 हेतु निर्गत इस विवरण पुस्तिका/ आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है।
- 8.6 इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी ।
- 8.7 (क) अगर कोई अभ्यर्थी UGMAC-2019 के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा-सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाया जाता है तो नामांकन हेतु उसकी उम्मीदवारी स्वत: रद्द हो जायेगी ।
 - (ख) यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त होने अथवा Impersonation का दोषी पाया जाता है या NEET(UG)-2019 की परीक्षा कक्ष में मोबाइल / इलेक्ट्रानिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़े जाने की पुष्टि होती है तो नामांकन हेतु निर्गत आवंटनादेश स्वत: रह हो जायेगा ।
- 8.8 NEET (UG)-2019 की मेधा-सूची में सिम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्चे से स्वयं कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे।
- 8.9 कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की जाँच आदि के लिये अभ्यर्थी के स्वयं केवल उपस्थित हो जाने पर ही नामांकन हेतु उसका कोई दावा नहीं बनेगा ।
- 8.10 अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को UGMAC-2019 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने की अनुमित मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् कभी भी इस भूल का पता चलता है तो वह मेधा-सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नामांकन हेतु अपना दावा / अधिकार खो देगा । अगर इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी पिरिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन-आदेश निर्णत नहीं किया जायेगा ।
- 8.11 नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी।
- **8.12** UGMAC-2019 के संचालन तथा इससे सम्बन्धित आवेदन प्रपत्रों से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित

न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और वहीं मान्य होंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिए परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद् वाद दायर कर सकेगी अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

,,,,,,,,,

परिशिष्ट-1 (Schedule-I)

(Govt. Medical / Dental Colleges)

Statement of total available seats in different Govt. Medical / Dental Colleges of the State of Bihar based on 2018

Schedule — A

Note: State Govt. / BCECE Board reserves the right to add new Institution / Seats in this Statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

SI. No.	Govt. Medical / Dental College	Total seats	Central Nominees	All India Quota	Available seats for Counselling
1.	P.M.C, Patna	150	5	22	123
2.	D.M.C.,Laheriasarai	100	5	15	80
3.	J.L.N.M.C., Bhagalpur	100	4	15	81
4.	N.M.C., Patna	100	4	15	81
5.	S.K.M.C., Muzaffarpur	100	4	15	81
6.	A.N.M.M.C., Gaya	100	4	15	81
7.	I.G.I.M.S., Patna	100	-	15	85
8.	Govt. Medical College, Bettiah	100	-	15	85
9.	Vardhman Medical College, Pawapuri, Nalanda	100	-	15	85
10.	Patna Dental College, Patna	40	4	6	30
	TOTAL	990	30	148	812

Important Notes:

- (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.
- (ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disabled Quota Seats.

परिशिष्ट-1 (Schedule-II)

(Private Medical / Dental Colleges)

Statement of available seats in different Private Medical / Dental Colleges of the State of Bihar for the session- 2019-2020

Schedule — B

Note: State Govt. / BCECE Board reserves the right to add new Institution / Seats in this Statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

SI. No.	Private Medical / Dental College	Total seats	Available seats for Counselling
A) 1. 2. 3. B) 1. 2. 4.	Medical Colleges: Katihar Medical College, Katihar Mata Gujari Memorial Medical College, Kishanganj Narayan Medical College & Hospital, Sasaram Dental Colleges: Buddha Institute of Dental Science & Hospital, Kankarbagh, Patna Mithila Minority Dental College & Hospital, Darbhanga Sarjug Dental College & Hospital, Laheriasarai, Darbhanga Dr. B.R. Ambedkar Institute of Dental Science & Hospital, Baily Road, Patna.		* Subject to recognition of the Institution / Seats. By MCI / DCI & Govt. of Bihar
	TOTAL		

Important Note:

(i) Total Seats (inclusive of Minority & Disabled Quota Seats) in Private Medical / Dental College will be made known at the time of counselling.

Statement of total available seats in different Colleges in Medical stream on the basis of session - 2018

Note: BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any

time for which information will be provided at the time of counselling.

SI. No.	College	Total seats	Central Nomi- nees	All India quota	State seats	Gene- ral category	S.C. Cat- egory	S.T. Cat- egory	E.B.C Cat- egory	B.C. Cat- egory	Girls of re- served
											cat- egory
1.	Rajkiya Ayurvedic College, Patna	40	_		40	20	6	1	7	5	1
2.	Rajkiya Homoeopathic College, Muzaffarpur	60	_	_	60	30	9	1	11	7	2
3.	Govt. Tibbi College, Patna	30	_	_	30	15	5	_	5	4	1

Note

- (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.
- (ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disable Quota Seats.
- (iii) Admissions in All the Colleges mentioned above will be taken after due permission for the same from Govt. of India / Govt. of Bihar.

(क) कृषि धारा में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में कोटिवार उपलब्ध सीटों का विवरण

(सत्र 2018 के आधार पर)

Note: BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

	time for which information will	in be provided at the time of courselling.								
				सीर	यें का बँटव	त्रारा आरक्ष	ाण रोस्टरों	के अन्दर		
	स्नातक पाठ्यक्रम	कुल सीट	15 प्रति सीट ICAR/ VCT कोटा के तहत	अनारक्षित	अनु॰ जाति	अनु॰ जन– जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	मिलिटरी वार्ड
1.	स्नातक (पशु चिकित्सा) बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना ।	60	9	25	8	1	9	6	2	0

नोट: (i) संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउंसेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

⁽ii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सिम्मिलित हैं ।

Guidelines for Admission in Degree Courses in Medical Profession against Disabled Quota

(Change to 5% vide संकल्प संख्या- 11/आ.नी.-1-06/2017 सा.प्र.-13062, पटना, दिनांक 12.10.2017 एवं सा.प्र. 7162 पटना, दिनांक 31.05.2018)

In view of the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in C.A. No. 6120/2001 dated 18 Sept., 2002 and with reference to the Medical Council of India letter no. 34(1)/2003-MED/11773 the guidelines for the admission of physically handicapped candidates against 5% vide letter no. 11/310710-1-06/2017 10070-13062, Patna, dt. 12.10.2017 reserved seats under Disabled Quota in Medical / Dental / Ayurvedic / Tibbi / Homeopathic / Physiotherapy and Para Medical institution of Bihar are as under:

1. (a) Persons with only locamotary disability of lower limbs between 50% to 70% but otherwise medically fit and having upper limbs fully functional and normal are allowed the benefit of reservation under the disability Act, 1995 for admission against 5% seats of the annual sanctioned intake capacity under Disabled Quota seats to MBBS/BDS/PG Medical and other professional medical courses.

Provided that in case any seat in this 5% quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotors disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat in this 5% quota shall be filled up by persons with locomotors disability of lower limbs between 40% to 50% before they are included in annual sanctioned seats for General Category candidates.

Provided further that the entire excercise shall be completed as per the statutory time schedule for admissions and in no case any admission will be made in the MBBS/BDS course after 30th September.

- (b) The eligibility Criteria for admissions to persons with locomotors disability of lower limbs will be minimum of 45% marks instead of 50% taken together in qualifying Examination and Competitive Entrance Examination for admission in MBBS course.
- 2. The visually handicapped and hearing disabled persons are considered invalid and thus ineligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses against Disabled Quota seats.
- The candidates having locomotory disability involving upper limbs are not eligible for admission to MBBS / PG
 Medical and other professional medical courses.
- 4. For availing the benefits of reservation in Disabled Quota, the locomotory disabled candidates with disabilities involving the lower limbs must fulfil the following criteria/ guidelines:-
 - (a) If the locomotory disability involves only one lower limb, it should not be less than 50% and should not exceed 70%.
 - (b) If the locomotory disability involves both the lower limbs, the total disability should not exceed 70% with a minimum of 50%.
 - (c) The disability certificate should be produced by a duly constituted and authorised medical board by the Government of Bihar.
 - (d) The candidate should have minimum eligibility criteria as per Medical Council of India guidelines and should be otherwise medically fit.
- 5. The provision of this reservation will be applicable in government as well as non-government aided institutions.
- 6. The candidates, who are aspiring to get seats under Disabled Quota, should apply expressing their claims for the same along with the valid disability certificate.
- 7. The candidate, seeking the benefit for reservation under Disabled Quota, should present him/herself before a medical board comprising of atleast one expert / specialist from the speciality of orthopaedics from state medical board in the state of Bihar and obtain a valid disability certificate from the medical board by claiming the benefit of reservation.
- 8. The disability certificate of the candidate from a medical board shall (i) Give a permanent disability certificate where there are no chances of variation in the degree of disability (ii) Indicate the period of validity in the certificate, in cases where there is any chance of variation in the degree of disability.
- 9. In case, there are not enough number of Candidates, who qualify themselves for admission against reserved seats under Disabled Quota of any category, the consequent vacant seats should be merged with the seats of respective category.

Note: All above guideline will be subject to latest directions of Medical Council of India / Govt. of Bihar issued from time to time.

प्रमाण पत्र / अंक पत्र / अन्य अभिलेख की सूची

1.	Mark sheet and Admit Card of +2/I.SC or equivalent Examination	-	by relevant Board/ Council.
2.	Passing Certificate of +2/I.SC or equivalent Examination	-	by relevant Board/ Council
3.	Mark sheet and Admit Card of 10th / equivalent Examination's mark sheet/ Certificate/ Admit Card	-	by relevant Board/ Council
4.	Caste Certificate & Permanent Residential Certificate	-	Issued by CO & Countersigned by SDO(Civil) / DM of Permanent Residence.
5.	Character Certificate	-	Issued by Head of Institution last attended/ studied
6.	Income Certificate (if needed)	-	Issued by CO & Countersigned by SDO(Civil) / DM of Permanent Residence.
7.	Admit Card	-	As issued by NEET(UG)-2019
8.	Photograph	-	Four Photo graphs identical to one used for preparing the Admit Card of NEET (UG)-2019
9.	Certificate of Disable Quota	-	As per Para-4.6.2 of this prospectus.
10.	Aadhar Card (Identity Certificate).		
11.	Hard Copy of Online submitted application form (Part-A & Part-B)		
